



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकारका उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



CIN: U32201UP1999SGC024928

GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स / जीसेल .टी.एस. Corporate Tax / GST Cell

कक्ष संख्या-320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल -dgmtaxuppl@gmail.com

Room No.- 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320,

दिशा-निर्देश सं०: 15 / उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2019

दिनांक: ०९ / ०५ / 2019

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

1- डिपोजिट आधार पर तैयार किये जाने वाले प्राक्कलनों में दो बार जी०एस०टी० चार्ज किये जाने से संबंधित भ्रांति के संबंध में।

कृपया मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सेल द्वारा निर्गत जी०एस०टी० दिशा-निर्देश सं० 08/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2018 दिनांक 23/02/2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें डिपोजिट आधार पर किये जाने वाले कार्यों पर जी०एस०टी० के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त दिशा-निर्देश के पृष्ठ सं०- 02 पर जी०एस०टी० की गणना से संबंधित उदाहरण दिया गया था। चूंकि कार्य के लिए क्रय किये गये Material, erection एवं overhead पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० निगम को Input Tax Credit (ITC) के रूप में उपलब्ध नहीं रहेगा इसलिये उदाहरण में Cost of Work (Material/Labour/Overhead) के बाद जी०एस०टी० 18% की दर से लगा कर दर्शाया गया है। किन्तु प्राक्कलन बनाते समय प्राक्कलन में इस प्रकार जी०एस०टी० लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्राक्कलन बनाते समय प्राक्कलन में 18% जी०एस०टी० (Charged by Supplier/Contractor) को पृथक प्रविष्टि न दिखाते हुये Cost of Work (Material/Labour/Overhead) में शामिल करते हुए ही प्राक्कलन में दिखाये।

यदि Cost of Work (Material/Labour/Overhead) की दर अगर Inclusive of GST है तो उसमें जी०एस०टी० दोबारा नहीं जोड़ा जाना है। इसके अतिरिक्त उदाहरण में दर्शायी गयी जी०एस०टी० दर 18% उदाहरण मात्र है, Cost of Work (Material/Labour/Overhead) में जी०एस०टी० जोड़ते हुए वस्तु/मद की सकल दर ही जोड़े जाने हैं।

रेस्पो दर के आधार पर प्राक्कलन तैयार करते समय सुनिश्चित कर ले कि रेस्पो दरों में जी०एस०टी० सम्मिलित है अथवा नहीं। अगर रेस्पो दरों में जी०एस०टी० सम्मिलित नहीं है तो उसमें जी०एस०टी० वस्तु/मद की जी०एस०टी० की लागू दर के अनुसार जोड़ ले एवं प्राक्कलन में एक ही प्रविष्टि में जी०एस०टी० जुड़ी हुई दर ही दिखायें।

उपरोक्त अनुसार प्राक्कलन बनाते समय Cost of Works (Material/Labour/Overhead) के अतिरिक्त सुपरविजन चार्ज्स एवं कंटेन्जेंसी चार्ज्स जोड़ते हुए अंतिम राशि पर जी०एस०टी० @ 18% जोड़ा जायेगा जो कि सरकार को देय होगा।

2- Corrigendum to Circular No. 76/50/2018-GST

जी०एस०टी० दिशा निर्देश संख्या 13/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2019 दिनांक 19.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें Income Tax- Tax collected at source (TCS) पर जी०एस०टी० के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये थे। कथित दिशा निर्देश के पृष्ठ संख्या 03 के बिन्दु संख्या 04 पर Circular No. 76/50/2018-GST दिनांक 31.12.2018 के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे प्रकरण जहां Income Tax- Tax collected at source (TCS) का प्राविधान है वहां Taxable Value में TCS को शामिल कर जी०एस०टी० चार्ज किया जायेगा।

परन्तु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के F.No. CBEC-20/16/04/2018-GST dated 07 March, 2019 ने Circular No. 76/50/2018-GST (प्रति संलग्न) से सम्बन्धित शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसके अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरण जहां Income Tax- Tax collected at source (TCS) का प्राविधान है, वहां Taxable Value में TCS को शामिल न करते हुए जी0एस0टी0 चार्ज किया जायेगा।

सुलभ संदर्भ हेतु उदाहरण निम्नलिखित अनुसार प्रस्तुत है:-

Particulars	Amount (Rs.)
Scrap Sale Value	100.00
TCS @1%	1.00
Taxable Value	100.00
GST @ 18%	18.00
Total	118.00

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(पी0एन0 सहाय)
अधिशाली निदेशक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

दिशा-निदेश सं0: 15/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0सेल/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त)/निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/निदेशक (वाणिज्य)/निदेशक (वितरण)/निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग) के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से अवगत करायें।
6. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा/सम्प्रेक्षा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
7. उप मुख्य लेखाधिकारी (निधि), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
8. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
9. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/आयात-निर्यात, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशाली अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(पी0एन0 सहाय)
अधिशाली निदेशक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

Annexure

डिपोजिट कार्य हेतु जी0एस0टी0 की गणना अब तक निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार की जा रही थी।

<u>Pariticulars</u>	<u>Amount(Rs.)</u>
Cost of Work (Material/Erection/Overhead)	1,00,00,000
Add: GST@ 18% (Charged by supplier/contractor)	18,00,000
Total Cost of Work to be paid to supplier/contractor	1,18,00,000
Supervision charges (Assumed@15%)	17,70,000
Contingency and other charges (Assumed@10%)	11,80,000
Taxable Value	1,47,50,000
Add: GST @18%	26,55,000
Total Amount of deposit works to be charges from the client	1,74,05,000

अब इस पत्र के अनुपालन में जी0एस0टी0 की गणना निम्नलिखित अनुसार की जायेगी:-

<u>Pariticulars</u>	<u>Amount(Rs.)</u>
Cost of Work (Material/Erection/Overhead)	1,18,00,000
Supervision charges (Assumed@15%)	17,70,000
Contingency and other charges (Assumed@10%)	11,80,000
Taxable Value	1,47,50,000
Add: GST @18%	26,55,000
Total Amount of deposit works to be charges from the client	1,74,05,000

Corrigendum to Circular No. 76/50/2018-GST

**F.No. 20/16/04/2018 -GST
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs
GST Policy Wing**

New Delhi, Dated the 7th March, 2019

To,

The Principal Chief Commissioners/ Chief Commissioners/ Principal Commissioners/
Commissioners of Central Tax (All)

The Principal Director Generals/ Director Generals (All)

Madam/Sir,

**Subject: Corrigendum to Circular No. 76/50/2018-GST dated 31st December, 2018
issued vide F.No. CBEC- 20/16/04/2018-GST- Reg.**

Vide serial number 5 of Circular No. 76/50/2018-GST dated 31st December, 2018, it was clarified that the taxable value for the purposes of GST shall include the Tax Collected at Source (TCS) amount collected under the provisions of the Income Tax Act, as the value to be paid to the supplier by the recipient is inclusive of the said TCS.

2. In the light of the representations received from the stakeholders, the matter has been re-examined in consultation with the Central Board of Direct Taxes (CBDT). The CBDT has clarified that Tax collection at source (TCS) is not a tax on goods but an interim levy on the possible "income" arising from the sale of goods by the buyer and to be adjusted against the final income- tax liability of the buyer.

3. Accordingly, in S. No. 5 of the Circular No. 76/50/2018-GST dated 31st December, 2018:

For

5.	What is the correct valuation methodology for ascertainment of GST on Tax collected at source (TCS) under the provisions of the Income Tax Act, 1961?	1. Section 15(2) of CGST Act specifies that the value of supply shall include "any taxes, duties cesses, fees and charges levied under any law for the time being in force other than this Act, the SGST Act, the UTGST Act and the GST (Compensation to States) Act, if charged separately by the supplier."
----	---	---

Corrigendum to Circular No. 76/50/2018-GST

		2. It is clarified that as per the above provisions, taxable value for the purposes of GST shall include the TCS amount collected under the provisions of the Income Tax Act since the value to be paid to the supplier by the buyer is inclusive of the said TCS.
--	--	--

Read

5.	What is the correct valuation methodology for ascertainment of GST on Tax collected at source (TCS) under the provisions of the Income Tax Act, 1961?	<p>1. Section 15(2) of CGST Act specifies that the value of supply shall include “any taxes, duties cesses, fees and charges levied under any law for the time being in force other than this Act, the SGST Act, the UTGST Act and the GST (Compensation to States) Act, if charged separately by the supplier.”</p> <p>2. For the purpose of determination of value of supply under GST, Tax collected at source (TCS) under the provisions of the Income Tax Act, 1961 would not be includible as it is an interim levy not having the character of tax.</p>
----	---	--

2. It is requested that suitable trade notices may be issued to publicize the contents of this Circular.

3. Difficulty, if any, in implementation of this Circular may please be brought to the notice of the Board. Hindi version would follow.

(Upender Gupta)
Principal Commissioner (GST)